

नागरिक चार्ट

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान - एनआईएमएच) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीआईडी) बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी को महत्व देता है।

दृश्य एवं कार्यक्षेत्र

- मानव संसाधन विकास
- अनुसंधान एवं विकास
- देखभाल एवं पुनर्वास के मॉडल का विकास
- प्रलेखन एवं प्रसार
- स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना
- सामुदायिक आधारित पुनर्वास (CBR)
- विस्तार एवं जनसंपर्क कार्यक्रम

हमारे ग्राहक / लाभार्थी

बौद्धिक दिव्यांगजन

वे व्यक्ति जो बौद्धिक दिव्यांगता के जोखिम में हैं
विकासात्मक विलंब से ग्रस्त व्यक्ति,
जिनमें निम्नलिखित सह-स्थितियाँ हो सकती हैं:

- ऑटिज़्म
- सेरेब्रल पाल्सी
- श्रवण बाधिता
- डाउन सिंड्रोम
- विशिष्ट अधिगम अक्षमता
- दृष्टि बाधिता
- अथवा अन्य कोई दिव्यांगता

बौद्धिक दिव्यांगजन के अभिभावक

बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत या कार्य करने के इच्छुक पेशेवर

एनआईएमएच की गतिविधियाँ:

➤ मानव संसाधन विकास

- बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष सेवाओं का विस्तार करना,
- पर्यवेक्षी पेशेवरों को विकसित करने के लिए,
- प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षकों (टीओटी) का विकास करना।

पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण कार्यक्रम	परिणाम (आउटकम)	अवधि
---------------------------------	----------------	------

दीर्घकालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम (कुल: 10) <ul style="list-style-type: none"> डिप्लोमा पाठ्यक्रम – 4 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – 1 (अवधि: 6 माह) स्नातक पाठ्यक्रम – 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – 3 (जिसमें 1 एम.फिल. शामिल हैं) 	तैयार किए जाने वाले पेशेवर <ul style="list-style-type: none"> 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता पुनर्वास चिकित्सक (थेरेपिस्ट) पुनर्वास मनोवैज्ञानिक विशेष शिक्षक (समावेशी / विशेष शिक्षा) 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक 	1 से 2 वर्ष
*अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत उम्मीदवारों के लिए	इस क्षेत्र में नवीनतम विकासों से अवगत कराने के लिए	1 सप्ताह
*सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम कार्यक्रम	विशिष्ट क्षेत्रों में गहन प्रशिक्षण	1 माह

* उपर्युक्त सभी कार्यक्रम भारत पुनर्वास परिषद द्वारा सतत पुनर्वास शिक्षा (कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन – सीआरई) कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित हैं।

संपर्क व्यक्ति: प्रभारी, शैक्षणिक अनुभाग

(फोन: 040-27751741-45, एक्सटेंशन: 246)

➤ अनुसंधान एवं विकास

- प्रति वर्ष किसी भी समय 4-5 परियोजनाएँ प्रगति पर रहती हैं।
- अब तक 75 अनुसंधान परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।
- अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामस्वरूप निम्नलिखित का विकसित हुआ: पुस्तकें – 225 (विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों सहित), पैमलेट/पुस्तिकाएँ – 37, जागरूकता पोस्टर – 28, सॉफ्टवेयर सीडी – 12, स्क्रीनिंग उपकरण – 11, रेडियो स्पॉट – 11, सेवा मॉडल – 5, वीडियो फिल्में – 20।
- अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जागरूकता पोस्टर, वीडियो फिल्में, शैक्षिक फोल्डर एवं मल्टीमीडिया सीडी विकसित की गई हैं।

उपर्युक्त सभी सामग्री का देशभर में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

भविष्य की योजनाएं

- दिव्यांगजन (PWDs) के लिए देखभाल एवं पुनर्वास के नवीन मॉडल विकसित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य करना।
- विभिन्न दीर्घकालिक/अल्पकालिक कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों का नामांकन (कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति प्राप्त)।
- राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों का आयोजन – प्रति वर्ष चार।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन – प्रत्येक दो वर्ष में एक।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विशेष विद्यालयों में कंप्यूटर सहायित शिक्षण (CAI) प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों में समावेशी विद्यालयों की स्थापना।
- समेकित बी.एससी.-बी.एड. (विशेष शिक्षा एवं मनोविज्ञान) (4 वर्षीय कार्यक्रम) प्रारंभ करना (कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त)।
- विशेष शिक्षा में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारंभ करना (कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त)।
- मनोविज्ञान में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारंभ करना (कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त)।
- समेकित बी.एड.-एम.एड. (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रारंभ करना।

➤ देखभाल और विकास की सेवाएँ

क्रम संख्या	इकाई	सेवा	समारोह	अवधि
1.	सामान्य सेवा			
		विशेष शिक्षा सेवाएँ	आकलन मूल्यांकन	45 मिनट
		मनोवैज्ञानिक सेवाएँ.		1 घंटा 15 मिनट
		चिकित्सा सेवाएँ		30 मिनट
		उरुचार सेवाएँ : फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी		45 मिनट

		3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ (ईआईएस)		2 घंटा
		18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास		1 घंटा
		अनुवर्ती सेवाएँ	व्यवहार संशोधन, शैक्षिक मार्गदर्शन, परामर्श, वाक् उपचार/श्रवण उपचार, व्यावसायिक उपचार /फिजियोथेरेपी, चिकित्सा।	30 मिनट
		रेफरल सेवाएँ	आगे की परीक्षाओं और शैक्षणिक प्लेसमेंट के लिए सहयोगी संस्थानों का संदर्भ देना।	15 मिनट
		जैव रसायन सेवाएँ	मेटाबोलिक और बायोकेमिकल विकार की पहचान करना।	15 मिनट
		इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम -ईईजी	मिर्गी और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाना	15 मिनट
		इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी - ईएमजी	संबंधित तंत्रिका मांसपेशी विकारों का निदान-	15 मिनट
		पोषण संबंधी परामर्श	कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पोषण संबंधी सलाह	30 मिनट
		जल उपचार	विभिन्न शारीरिक समस्याओं का उपचार	30 मिनट
2.	वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीआईएल)	18 वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	सामान्य कौशल प्रशिक्षण, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण, रोजगार नियुक्ति	नियमित कक्षाएं सुबह 10:00 - दोपहर 1:00 बजे तक समूह गतिविधि दोपहर 1:30-3:30 बजे तक
3.	विशेष शिक्षा केंद्र (एसईसी)	वैश्विक विकास के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा (ईसीएसई) से लेकर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा तक की कक्षाएं शामिल हैं, जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की क्षमता के स्तर पर निर्भर करती हैं।	में प्रशिक्षण • निजी • सामाजिक • अकादमिक • व्यावसायिक और • मनोरंजन कौशल	नियमित कक्षाएं सुबह 10:00 - दोपहर 1:00 बजे तक समूह गतिविधि दोपहर 1:30-3:30 बजे तक
4.	मोबाइल सेवाएँ	घर-आधारित सेवा	गंभीर और गहरी बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों का पुनर्वास।	45 मिनट
5.	पारिवारिक कॉटेज सेवाएँ	बाहर से आने वाले परिवार के लिए आवास	बच्चों को संभालने के लिए मातापिता - को प्रशिक्षण देना	1 सप्ताह
6.	विश्राम देखभाल सेवाएँ	आपातकालीन स्थिति में माता-पिता को अस्थायी राहत (चौबीसों घंटे सेवा)	और केयर टैकर द्वारा बच्चों की देखरेख	5 दिनों तक
7.	संवेदी एकीकरण चिकित्सा	अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	सेंसरी इंटीग्रेशन अडैप्टेड मटीरियल और तरीकों का इस्तेमाल करके	45 मिनट
8.	मनोरंजन	गहन बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	पुनर्वास	45 मिनट
9.	एनआईओएस	हल्की बौद्धिक अक्षमता और सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए रिसोर्स रूम।	परीक्षाओं के लिए कोचिंग	10:00 बजे से 3:30 बजे तक
10.	आत्मकेंद्रित	ऑटिज़्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्रामिंग	30 मिनट

सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सामान्य सेवा काउंटर पर रजिस्टर करें : फ़ोन नंबर 27751741 - 745, एक्सटेंशन : 225
सेवा शुल्क में छूट के लिए सफेद राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें
कार्य दिवस : सोमवार से शुक्रवार
बंद : वीकेंड और नेशनल हॉलिडे (सप्ताहांत और राष्ट्रीय अवकाश)

संपर्क व्यक्ति: प्रभारी, सामान्य सेवाएँ (फ़ोन: 040-2775741-45, एक्सटेंशन/ 225)

➤ दस्तावेजीकरण एवं प्रसार

संस्थान में बौद्धिक दिव्यांगता एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का पर्याप्त संग्रह युक्त एक सुसज्जित संसाधन केंद्र उपलब्ध है।

- ✓ **संग्रह (Collection):** लगभग 16,000 (अभिग्रहण, निःशुल्क प्राप्त सामग्री एवं बैक वॉल्यूम सहित)
- ✓ **श्रव्य-दृश्य सामग्री (Audio Visuals):** 490 संख्या
- ✓ **पत्रिकाओं की सदस्यता (Subscription):** लगभग 74 पत्रिकाएँ, जिनमें अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएँ, राष्ट्रीय पत्रिकाएँ, राष्ट्रीय पत्रिकाएँ/पत्रिकाएँ (मैगज़ीन) एवं समाचार पत्र शामिल हैं।
अब तक 108 प्रकाशन; वर्तमान में नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध

✓ कुछ अन्य प्रकाशनों का अनुवाद

- **क्षेत्रीय भाषाएँ** जैसे— हिंदी, तेलुगु, मराठी, मलयालम, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी
- **उत्तर-पूर्वी भाषाएँ:** (आओ जनजातीय, असमिया, बंगाली, गारो, खासी, मणिपुरी, मिजो, नागामीज़)

✓ **संस्थागत सदस्य (Institutional Member) :** DELNET

संपर्क व्यक्ति (Contact Person): प्रभारी विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग
(फोन: डायरेक्ट: 040-27759106; 040-27751741-45, एक्सटेंशन: 215)

➤ विस्तार एवं जनसंपर्क कार्यक्रम:

क्र. सं.	कार्यक्रम	लाभार्थियों	नतीजा/परिणाम	अवधि
----------	-----------	-------------	--------------	------

1.	समुदाय आधारित पुनर्वास	आम जनता , शिक्षक छात्र और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> • स्क्रीनिंग और पहचान • रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप • दिव्यांगता पर अभिविन्यास • सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना • संवेदीकरण प्रशिक्षण 	1-3 दिन
2.	राष्ट्रीय अभिभावक बैठक	अभिभावक	बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों से जुड़ी चिंताओं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए	2 दिन
3.	विशेष कर्मचारी बैठक	विशेष कर्मचारी	<ul style="list-style-type: none"> • बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना • अवसरों को बढ़ावा देने के लिए • स्व-समर्थन का विकास • सांस्कृतिक कौशल और समूह में सुधार भाग लेना 	2 दिन
4.	कार्यशालाएं	पेशेवरों	मॉडलों का विकास	3-5 दिन
5.	सेमिनार और सम्मेलन	पेशेवर छात्र अभिभावक	<ul style="list-style-type: none"> • घटनाक्रम पर चर्चा • योजना बनाना /प्रचार करना और • परिदृश्य में मुद्दों को संबोधित करना 	1-2 दिन
6.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अभिभावक	उनके बच्चों की देखभाल ,मैनेजमेंट और ट्रेनिंग में शामिल करना	1-4 दिन
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यक्रम	पूर्वोत्तर नागरिकों	इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और क्वालिटी सर्विस को मजबूत करने के लिए मदद देना	1 का दिन-2 हफ्तों
8.	डीडीआरसी (एमएस जे ई) कार्यक्रम की शुरुआत	दिव्यांगजन	<ul style="list-style-type: none"> • स्क्रीनिंग और पहचान • टीएलएम का वितरण 	2-5 दिन

मार्गदर्शन एवं सहायत सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र एवं दिव्यांगजन के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र श्री जी. श्रीनिवासुलु, व्याख्याता एवं समन्वयक, सीपीजीआरएमएस, व्यस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (जीएआईएल) (फ़ोन :040-27751741-45 ,एक्सटेंशन/289

सम्पर्क करने का विवरण:

निदेशक (ओएफएफजी)

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मनोविकास नगर, सिंकंदराबाद, तेलंगाना500009 -

फ़ोन:- 040-27751741-45

फ़ैक्स नंबर:- 091-40-27750198

ई-मेल:- nimh.director@gmail.com

वेबसाइट:- www.niepid.nic.in

30 सितंबर, 2013 को तैयार किया गया

31 जनवरी, 2024 को समीक्षा की गई

अगला रिव्यू जनवरी 2025 में होगा